कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांक 2437 /33–वि0नि0/आगणन/2024–25 दिनांक 14 जनवरी, 2025।

ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम प्रधान,

ग्राम पंचायत देवल।

1. माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024–25 में निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। जिसकी कार्यदायी संस्था आपको नामित किया गया है। इस कम में अवगत कराना है कि निम्न योजना के आगणन/कोटेशन/टैण्डर प्रकिया/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायें ताकि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त आपको योजनाओ की धनराशि अवमुक्त की जा सके। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड के पत्रांक 537/XI/07/51(01)2007 दिनाक 23.07.2007 से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी कि न्यूनतम मूल्य व संतोषजनक विशिष्टताओं की सामग्री ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार कय की जायगी। सामग्री कय करने से पूर्व सामग्री के मूल्य व गुणवत्ता का बाजार सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही कोटेशन/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सामग्री कय उपरान्त बचत शेष होती है, तो इस कार्यलय को उपलब्ध करायेगे ताकि तदनुसार मा0 विधायक को अवगत कराया जा सके।

3. निर्माण कार्यो में समय–समय पर अवर अभियन्ता तथा सहा0 अभि0 द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाय।

4. आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 के उपरान्त विधायक निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यो की Geotagging कराई जानी अनिवार्य है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे स्वीकृति कार्य उसी वर्ष में पूर्ण कराये जाने आवश्यक हैं। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने पर अथवा धनराशि स्चेम होने पर कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।

5. अशासकीय विद्यालयों में विद्यालयी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति भी आगणन के साथ प्रस्तुत करें।

6. कार्यदायी संस्था यह भी सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि स्वीकृत नही है।

7. अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0 /ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय तथा अ0जा0/ज0जा0 बस्ती निवास का प्रमाण पत्र भी आगणन के साथ प्रस्तुत किया गया।

8. योजना में विवाद/ कार्य विलम्ब होने की स्थिति में तत्काल अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा।

9. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ या सम्बन्धित कर्मचारी की उपस्थिति में लिया गया हैं, आगणन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति मे व्यक्तिगत भूमि में न किया जाये।

11. सामुदायिक/सार्वजनिक कार्य होने की स्थिति में कार्यस्थल की भुमि संवधी अभिलेखों (जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त निर्माण कार्य निजी भूमि पर नही किया जा रहा है) की जॉच करना सुनिश्चित करें तथा अभिलेखों को ऑडिट के समय प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से पत्रावली में सुरक्षित रखें।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

13. विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो में किसी भी प्रकार का कय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाईट कय मे गुणवत्ता/रख–रखाव इत्यादि उरेडा विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

क्र0 सं0	पूर्व में प्रस्तावित कार्य का नाम	संशोधित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0	पूर्व में कार्यदायी संस्था	मा0 विधायक द्वारा संशोधित कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अस्कोट महोत्सव हेतु	मल्लिकार्जुन महोत्सव हेतु	सामान्य	2024-25	1.50	वि0ख0 कनालीछीना	ग्राम पंचायत देवल
	कुल				1.50		

टिप्पणी:– 1 अवशेष कार्यो की स्थिती में आगणन उपलब्ध कराते समय पूर्व के कार्यो की उपयोगित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
2 आगणन तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही उपलब्ध करायें।

ह0/-
(डॉ0 दीपक सैनी)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ।

प्रतिलिपि– 1 मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।
2 खण्ड विकास अधिकारी कनालीछीना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ।